

संख्या: शिक्षा-प्रा0(111)बी(6)5/2018-3%- मण्डी
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
हिमाचल प्रदेश, लालपानी, शिमला-1
दिनांक: शिमला-171001

10.2020
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय (हि.प्र.)
12 OCT 2020
शिमला-1

सेवा में

उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक
मण्डी, जिला मंडी/शिमला, जिला शिमला हि0प्र0

विषय :-
ज्ञापन,

तीन प्रतिशत स्थानान्तरण नीति के अर्न्तगत अन्तर जिला स्थानान्तरण ।

सरकार की पूर्वानुमति से तीन प्रतिशत नीति के अर्न्तगत निम्नलिखित सी0
एण्ड वी0 अध्यापक के स्थानान्तरण आदेश निर्धारित शर्तों के अनुसार जारी किये जाते हैं :-

Sr.No.	Name & Designation of the Teachers	From	To
1.	Sh. Mahinder Pal Sharma, Shastri	GSSS Shakra, Karsog-II, Mandi	Distt. Shimla, against vacancy under 3% quota without TTA/JT, in relaxation of ban on transfers.

1. अन्तर जिला प्रतिनियुक्ति के स्थान पर अन्तर जिला स्थानान्तरण किया जाएगा । अन्तर जिला स्थानान्तरण अध्यापक के पूरे सेवाकाल में सिर्फ एक बार ही किया जायेगा ।
2. अन्तर जिला स्थानान्तरण होने के उपरान्त अध्यापक/अध्यापिका का पैतृक जिला के लिए प्रत्यावर्तन बारे अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा ।
3. अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु अनुरोध तभी स्वीकार्य होगा यदि सम्बन्धित जिला में तीन प्रतिशत कोटा उपलब्ध हो ।
4. अन्तर जिला स्थानान्तरण इस शर्त पर होगा, कि जिस जिला को अध्यापक जाना चाहता है, वहां पद रिक्त हो ।
5. अन्तर जिला स्थानान्तरण के फलस्वरूप अध्यापक/अध्यापिका को उसकी पिछले जिला की वरिष्ठता खोनी पड़ेगी ।
6. अन्तर जिला स्थानान्तरण उपरान्त अध्यापक को दूसरे जिला में कार्यग्रहण की तिथि से वरिष्ठता प्रदान की जाएगी तथा उस जिला की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा ।
7. दूसरे जिले में स्थानान्तरण पर जाते समय अध्यापक को कोई यात्रा भत्ता/कार्यग्रहण अवधि देय नहीं होगी ।
8. अन्तर जिला स्थानान्तरण पर अध्यापक को पैतृक जिला से दूसरे जिला के लिए तभी कार्यभार मुक्त किया जाएगा, यदि दूसरे जिला में पद रिक्त हो । रिक्त पद की सूचना, जिस जिला के लिए अध्यापक स्थानान्तरित है, के उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा उस जिला के उप निदेशक को दी जाएगी जहां से अध्यापक स्थानान्तरित/ कार्यभार मुक्त होना चाहता है ।

निदेशक

IT cell